तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 19/2025**	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए
26.03.2025	पत्रावली पेश हुई। श्री दिलीप सिंह यादव, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–1 (एक) सफवान पुत्र अहमद जी, खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता, फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या–2 (दो) सेरासिया अब्दुल लतीफ, खाद्य कारोबारकर्ता एवं Responsible Person, फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही अनुपस्थित। प्रतिवादी संख्या 3 (तीन) Meharali Nurmohmad Kojar, खाद्यकारोबारकर्ता एवं प्रोपराईटर, फर्म अमेनिटी ट्रेडर्स, फर्म Acumen Commercial Centre, Highway Road, Sidhpur Patan (Gujrat) अनुपस्थित। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा यह न्याय निर्णयन आवेदन प्रतिवादीगण के विरुद्ध आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 06.2.2024 को फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., तहसील– पिण्ड़वाडा, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सफवान पुत्र अहमद जी से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच कीमतन क्रय किये गये खाद्य पदार्थ नमक का नमूना संख्या S-2301 खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./173/Act/2024/219 दिनांक 19.2.2024 में अमानक (Sub-standard) पाया जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) व धारा 51 के तहत प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण पर जुर्माना आरोपित करने का अनुरोध किया गया है। प्रस्तुत न्याय निर्णयन आवेदन को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी कर तामिल करवाये गये। जिस पर प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.3.2025 को प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः सफवान व सेरासिया अब्दुल लतीफ ने संयुक्त लिखित जवाब प्रस्तुत किया एवं प्रतिवादी संख्या–3 (Meharali Nurmohmad Kojar) ने भी अलग से लिखित जवाब प्रस्तुत किया। प्रकरण में नियत सुनवाई तिथि 18.03.2025 को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव उपस्थित नही हुये। प्रतिवादीगण के अनुरोध पर प्रतिवादीगण को दिनांक 18.3.2025 को ही सुना गया। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 क्रमशः सफवान व सेरासिया अब्दुल लतीफ ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि दिनांक 06.2.2024 को दांडी नमक, मैसर्स इंडो ब्रिन इण्डस्ट्रीज का जो सेम्पल लिया था व सब स्टेण्डर्ड पाया गया है, जो नमक हमनें रिटेल बाजार से खरीद किया था। अमेनीटी ट्रेडर्स द्वारा हमकों नही बेचा गया था। गलती से अमेनीटी ट्रेडर्स का नाम इस प्रकरण में शामिल हो गया है, इसलिये अमेनिटी ट्रेडर्स का नाम हटाया जाकर उन्मोचित किया जावे। उक्त दांडी नमकन हमनें खुदरा बाजार से क्रय किया था तथा हमकों इस नमक की क्वालिटी की जानकारी नही थी। हमनें इसका उपयोग करना बन्द कर दिया है। अब ऐसे नमक का उपयोग नही करेंगे तथा आमजन के स्वास्थ्य का ख्याल रखेंगे। अतः हमें इस प्रकरण से ....लगातार	

पीठा. जिला कलेक्टर
सिरोही–307001.

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 19/2025	नम्बर व तारिख अहकाम जो इस हुक्म की तामिलमें जारी हुए

मुक्त किया जावे। प्रतिवादी संख्या–3 (Meharali Nurmohmad Kojar) ने स्वयं के जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए यह व्यक्त किया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 06.2.2024 को होटल सिरोही इन से दांडी नमक का सेम्पल लिया था, जो जांच में सब स्टेण्डर्ड पाया गया है। मेरी फर्म अमेनीटी ट्रेडर्स द्वारा होटल सिरोही इन को दांडी नमक का विक्रय नही किया गया है। गलती से इस प्रकरण में फर्म अमेनिटी ट्रेडर्स को जोडा गया है, इसलिये फर्म अमेनिटी ट्रेडर्स को इस प्रकरण से दोषमुक्त किया जावे।

प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं प्रतिवादीगण के जवाब तथा न्यायालय पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही, दिनांक 06.2.2024 को दौराने गश्त समय 11–30 ए.एम. पर खाद्य पदार्थो के निरीक्षण हेतु फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर गये। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से प्रतिवादी सफवान पुत्र अहमद जी उपस्थित मिले। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम के निरीक्षण के दौरान फर्म होटल सिरोही इन में आमजन के खाद्य सामग्री निर्माण में उपयोग हेतु रखे हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) के 22 पैक्ड पैकेट (प्रत्येक पैकेट एक किलोग्राम) रखे हुये पाये, जिनमें मिलावट का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर करते हुए इसकी सूचना मौके पर उपस्थित गवाह श्री श्रवण सिंह, वाहन चालक, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के समक्ष प्रपत्र 5ए में प्रतिवादी विक्रेता सफवान पुत्र अहमद जी को भरकर दी व रसीद प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने होटल सिरोही इन में आमजन के खाद्य सामग्री निर्माण हेतु उपयोग के लिये रखे हुए खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) के 22 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक पैकेट एक किलोग्राम) में से रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) के 04 पैक्ड पैकेटों (प्रत्येक पैकेट एक किलोग्राम) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत नमूना जांच हेतु खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 80/– (अक्षरे रुपये अस्सी मात्र) प्रतिवादी विक्रेता सफवान पुत्र अहमद जी को नकद अदा कर खरीद रसीद/बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने लेबल तैयार कर लेबल पर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) के कोड एवं क्रमांक S-2301, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) आदि अंकित कर उस पर प्रतिवादी विक्रेता सफवान पुत्र अहमद जी एवं गवाह के हस्ताक्षर कराये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव स्वयं ने हस्ताक्षर किये। आवेदक श्री दिलीप सिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा चारों पैक्ड रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) के

.......लगातार

न्यायालय अति. जिला मजिस्ट्रेट सिरोही (राज०)

अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज F.S.S.Act Case No. 19/2025

पैकेटों पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया एवं रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) के चारों पैकड पैकेटों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-2301 को नियमानुसार गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना पैकेट को नियमानुसार सील चपडी किया व प्रत्येक नमूना भाग पर प्रतिवादी विक्रेता व गवाह के हस्ताक्षर कराये व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कब्जे/जाप्ते में लिया तथा मौका रिपोर्ट तैयार की, जिस पर प्रतिवादी विक्रेता सफवान पुत्र अहमद जी, उक्त गवाह व आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव के हस्ताक्षर हैं। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने कार्यालय में पहुंचकर फार्म नम्बर VI की प्रतियां तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर VI की एक–एक प्रति लगाकर चारों नमूना भागों को आउटर कवर में बंद किया व नियमानुसार सील चपडी किया तथा फार्म नम्बर VI की की दो–दो प्रतियां दो लिफाफों में अलग–अलग बन्द कर गोंद से चिपकाकर लिफाफों को सील चपडी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव ने दिनांक 07.2.2024 को नमूने का एक भाग व फार्म नम्बर 6 का एक सील बन्द लिफाफा श्री विश्वजीत सिंह, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की एवं शेष तीन नमूना भाग व फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही) को दिनांक 06.2.2024 को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। इस प्रकार, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सफवान पुत्र अहमद जी से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत वास्ते नमूना जांच क्रय करने की विधिवत कार्यवाही करते हुए जांच हेतु नमूने का एक भाग मय फार्म नम्बर 6 के सीलबन्द लिफाफे के खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा करवाया गया है। प्रकरण में खाद्य विश्लेषक, जोधपुर से खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) के नमूना संख्या S-2301 की प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक L.S./173/Act/2024/219 दिनांक 19.2.2024 के अनुसार खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) का नमूना संख्या S-2301 अमानक (Sub-standard) पाया गया है। प्रकरण में यह तथ्य भी स्पष्ट है कि फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम, तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही के responsible Person, सेरासिया अब्दुल लतीफ (प्रतिवादी संख्या–2) है। प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से प्रस्तुत संयुक्त जवाब व प्रतिवादी संख्या–3 (Meharali Nurmohmad Kojar)

......लगातार

सिरोही–307001

तारिख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **F.S.S.Act Case No. 19/2025**

के जवाब में अंकित अनुसार फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम. में आवेदक आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री दिलीप सिंह यादव द्वारा दिनांक 06.2.2024 को जिस खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) का नमूना जांच हेतु क्रय किया था उस रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) को फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम. द्वारा प्रतिवादी संख्या–3 (Meharali Nurmohmad Kojar) की फर्म अमेनिटी ट्रेडर्स से क्रय नही कर खुदरा बाजार से क्रय किया था। पत्रावली पर उपलब्ध अमेनिटी ट्रेडर्स के बिल की छाया प्रति के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि प्रतिवादी संख्या–3 (Meharali Nurmohmad Kojar) की फर्म अमेनिटी ट्रेडर्स द्वारा फर्म होटल सिरोही इन को जो नमक विक्रय किया गया है उसकी ब्राण्ड का नाम अंकित नही है। ऐसी स्थिति में, प्रकरण में यह तथ्य साबित नही होता है कि प्रतिवादी संख्या–3 (Meharali Nurmohmad Kojar) की फर्म अमेनिटी द्वारा फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम. को रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) का विक्रय किया गया हो। इस प्रकार, प्रकरण में यह स्पष्ट है कि फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम. तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही में प्रतिवादी विक्रेता सफवान पुत्र अहमद जी द्वारा अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है, जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

आदेश

अतः प्रकरण में प्रतिवादी संख्या– 3 (Meharali Nurmohmad Kojar) को दोषमुक्त किया जाकर अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ रिफाईन्ड आयोडाइन्ड नमक (दांडी ब्राण्ड) के विक्रय हेतु प्रतिवादी सेरासिया अब्दुल लतीफ, खाद्य कारोबारकर्ता एवं Responsible Person, फर्म होटल सिरोही इन, पालडी एम., तहसील– शिवगंज, जिला– सिरोही पर राशि रुपये 20,000/– (अक्षरे रुपये बीस हजार मात्र) की शास्ति (Penalty) अधिरोपित की जाती है। साथ ही, प्रतिवादी सेरासिया अब्दुल लतीफ को आदेशित किया जाता है कि उक्त शास्ति (Penalty) की राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरोही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति0 जिला मजिस्ट्रेट, सिरोही के कार्यालय में 30 दिवस में जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय की प्रति संबंधित को प्रेषित की जावे। मिसल वास्ते जुर्माना राशि डी.डी. आयन्दा दिनांक 30.4.2025 को पेश हो।

(डॉ. दिनेश राय सापेला)
अति. जिला मजिस्ट्रेट
सिरोही–307001.